

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 559/2022

वादपत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए. एवं 251-ए आरटीए

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार | } | जाति जाट निवासी ढाबां |
| 2. विमला पत्नी कृष्ण कुमार | | तहसील संगरिया जिला |
| 3. सुमन पत्नी सुरेन्द्र कुमार | | हनुमानगढ़ (राज.) |
| 4. प्रहलाद कुमार पुत्र कृष्ण कुमार | | |

-वादीगण

बनाम्

- | | | |
|---|---|---|
| 1. इकबाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख | } | जाति जटसिख निवासी ढाबां
तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.) |
| 2. करणी सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख | | |
| 3. विजय सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख | | |
| 4. बिन्द्रपाल कौर पत्नी राजवीर सिंह | | |
| 5. अजयदीप पुत्र राजवीर सिंह | | |
| 6. सुखजीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह | | |
| 7. हरबंश सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह | | |
| 8. जसवीर सिंह पुत्र करतार सिंह | | |
| 9. जसवंत सिंह उर्फ सन्ता सिंह पुत्र सरजीत सिंह | } | जाति जटसिख निवासी
घडियाणा तहसील व
जिला फाजिल्का
(पंजाब) |
| 10. बाघ सिंह उर्फ बाग सिंह पुत्र सरजीत सिंह | | |
| 11. गुलाब सिंह उर्फ लाभ सिंह पुत्र सरजीत सिंह | | |
| 12. रघुवीर सिंह पुत्र नाहर सिंह पुत्र जसपाल कौर पत्नी सरजीत सिंह | | |
| 13. सुखवीर सिंह पुत्र दारा सिंह पत्नी कलवंत कौर पुत्री सरजीत सिंह | | |
| 14. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा ढाबा | | |
| 15. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा ढाबा | | |
| 16. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी.लि.बैंक शाखा संगरिया | | |
| 17. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। | | |

- प्रतिवादीगण

दिनांक :-

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिंह सूच वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजय सहू वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक नं. 2 डीएनजी खाता सं. 99/26

1. विमला पत्नी कृष्ण कुमार 0.760 है. राहिन एसबीआई ढाबां 0.685 है. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार 0.253 है. राहिन एसबीआई ढाबां सुमन पत्नी सुरेन्द्र कुमार 0.759 है. राहिन एसबीआई प्रहलाद कुमार पुत्र कृष्ण कुमार 1.621 है. जाति जाट निवासी ढाबां खातेदार



प.न.	मु.न.	किला नं.
193/131	37	2/0.253 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7,8,9/0.759 है., 18/1/0.216 है., 20,21/0.506 है.
192/131	38	16/1/0.127 है. नहरी, 16/3/0.014 है. रास्ता, 17,24/0.506 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
192/132	43	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है. कुल 3.393 हैक्ट.

2. हरबन्स सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां खातेदार राहिन एसबीआई ढाबां

प.न.	मु.न.	किला नं.
193/131	37	11 ता 14/1.012 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., कुल 1.265 है.

3. इकबाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह 0.506 है. राहिन पीएनबी ढाबां करणी सिंह, विजय सिंह पि0 हरदेव सिंह बहिब 0.506 है. राहिनान 0.336 है. पीएनबी ढाबा, बिन्द्रपाल कौर पत्नी राजवीर सिंह, अजयदीप सिंह पुत्र राजवीर सिंह, चन्दनप्रीत कौर पुत्री राजवीर सिंह बहिब 0.759 है. जाति जटसिख सा. ढाबां खातेदार

प.न.	मु.न.	किला नं.
194/131	36	10/0.253 है.
193/130	34	24/0.253 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
193/131	37	3,4/0.506 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
193/132	44	4/0.253 है. कुल 1.771 हैक्ट.

4. अमनदीप कोर पत्नी गगनदीप सिंह 1/2 हि. जशनदीप कौर बराड पत्नी शगनजीत सिंह 1/2 हि. जाति जटसिख निवासी सा. ढाबां खातेदार

प.न.	मु.न.	किला नं.
193/132	44	10,11/0.506 है.

5. सुखवीर सिंह पुत्र दारा सिंह 0.253 है. जाति जटसिख नि0 कोटफता तहसील बटिण्डा, रूघवीर सिंह पुत्र नार सिंह, बाघ सिंह, गुलाब सिंह जसवन्त सिंह पि0 सरजीत सिंह बहिब 0.112 है. जाति जटसिख सा. घडियाणा तह0 फाजिल्का खातेदार

प.न.	मु.न.	किला नं.
192/131	38	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है. 16/1/0.101 है. नहरी, 16/4/0.011 है. रास्ता कुल 0.365 हैक्ट.

6. जसवीर सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां खातेदार

प.न.	मु.न.	किला नं.
193/131	37	17/1/0.018 है., 18/2/0.037 है. कुल 0.055 हैक्ट.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-पीडी/भू.अ./023/41 दिनांक 05.01.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।



नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया